पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
उपरवारा, नया रायपुर, सेक्टर–40, छ.ग. 493661
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)
दूरभाष: 0771–2263234
वेब साईट: www.cghealthuniv.com
ई मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/F-14C/खेल./डी.यू.एच.एस./2023/250 रायपुर, दिनांक : 08/08/2023

खेल आयोजन हेतु नियमावली

पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, नवा रायपुर द्वारा अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ अगस्त–2023 के अंतिम सप्ताह से किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित खेलों की सूची मे से जो भी महाविद्यालय उक्त आयोजन करना चाहते है वे उस खेल आयोजन हेतु अनिवार्य पात्रता को पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय में दिनांक 21 अगस्त 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

विश्वविद्यालय द्वारा उनके आवेदन पर विचार करते हुए खेल स्पर्धाओं का इस सत्र के लिए कलेण्डर जारी किया जायेगा। अन्तर महाविद्यालय स्पर्धा हेतु आवेदन के पूर्व महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि वो उस खेल आयोजन की सभी जरूरी व्यवस्था करने में सक्षम है। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के साथ साथ निम्नांकित सुविधाओं का उल्लेख भी करें।

1 जिस खेल हेतु आवेदन किया गया है उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर्स महाविद्यालय में उपलब्ध हो। अगर न हो तो वे उसी शहर में किसी पूर्व सुविधा युक्त जगह में आयोजन कर सकते है, बशर्ते उनसे इस हेतु अनुबंध हो।

2 महाविद्यालय द्वारा जितने दिन स्पर्धा आयोजन के लिए निर्धारित है उतने समय में ही यह आयोजन करें। विशेष परिस्थितियों में जैसे कम टीम आने में विश्वविद्यालय से अनुमाति लेकर उसे निर्धारित अवधी के पूर्व ही सम्पन्न करा सकते है।

3 महाविद्यालय अपने खिलाडियों को खेल के अनुरूप ड्रेस उपलब्ध करायेंगे ताकि स्पर्धा के नियमों का पालन हो सके साथ ही साथ निर्धारित टी.ए., डी.ए. का भुगतान करेंगे।

4 खिलाडियों के ठहरने की व्यवस्था आयोजन करने वाले महाविद्यालय को करनी होगी। अगर प्रतियोगिता स्थल किसी अन्य जगह में है तो खिलाडियों को महाविद्यालय में जहॉ वो ठहरे हो से आने ले जाने की व्यवस्था आयोजक महाविद्यालय को करनी होगी।

उपरोक्त नियमों के अलावा विश्वविद्यालय के पूर्व निर्धारित सभी नियम भी लागू होंगे।

प्रभारी कुलसचिव/सचिव क्रीडा समिति

प्रतियोगिता का स्वरूप

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, उनकी सूची निम्नानुसार है –

1. फुटबाल – पुरूष – महिला
2. क्रिकेट – पुरूष – महिला
3. बैडमिंटन – पुरूष – महिला
4. व्हालीबाल – पुरूष – महिला
5. बास्केटबाल – पुरूष – महिला
6. टेबलटेनिस – पुरूष – महिला
7. कबड्डी – पुरूष – महिला
8. खो–खो – पुरूष – महिला
9. शतरंज – पुरूष – महिला
10. एथलेटिक्स – पुरूष – महिला
11. हैंडबाल – पुरूष – महिला
12. लॉनटेनिस – पुरूष – महिला

ये प्रतियोगिताएं अखिल भारतीय अंर्तविश्वविद्यालयीन खेल संघ द्वारा निर्देशित पद्धति से (नाक आउट तथा लीग पद्धति के आधार पर) आयोजित की जायेगी यदि प्रतियोगिता दलों की संख्या 04 या 04 से कम होती है तो प्रतियोगिता आवश्यक रूप से लीग पद्धति के आधार पर आयोजित होगी।

सहभागी संस्थाए – विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय अन्तर महाविद्यालयीन स्पर्धा में भाग ले सकते है।

अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता – महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की खेलों में अधिक से अधिक सहभागिता के लिये प्रत्येक संस्था में विभिन्न खेलों की आंतरिक (इंटरनल) प्रतियोगिताओं का आयोजन कर महाविद्यालय की टीम बनाकर उसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित महाविद्यालयों को आबंटित अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये भेजेंगे। अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में महाविद्यालय की टीमों का एक जुड़नार (फिक्चर) बनेगा। जिसके आधार पर विभिन्न महाविद्यालयों की टीमों की आपस में स्पर्धा होगी। अन्तर महाविद्यालयीन स्पर्धा में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति विश्वविद्यालय टीम का गठन करेगी। चयन समिति खिलाड़ियों/टीम के स्तर को देखकर उसे आल इंडिया अन्तर विश्वविद्यालयीन खेल संघ द्वारा आयोजित अन्तर विश्वविद्यालयीन स्पर्धा में भेजने की अनुशंसा करेगी।

पुरस्कार – अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता कॉलेज को वैजन्तिका (ट्राफी) तथा प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

प्रतियोगिता नियम – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित खेल प्रतियोगिता में उन सभी नियमों का समावेश किया जायेगा जो अखित भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ के अंर्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु बनाये गये है।

दल नायक – दल नायक का मनोनयन संबंधित महाविद्यालय के प्रचलित मापदण्डों के आधार पर होगा। वरिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जावेगा।

वित्त समन्वय – अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता पर होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सब्सिडी राशि एवं आयोजन करने वाले महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा सब्सिडी राशि प्रतियोगिता पूर्व आयोजन करने वाले महाविद्यालय के प्राचार्य को सौपी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये चयन समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता के लिये निम्नांकित सब्सिडी राशि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय की जायेगी।

क्र.	खेल का नाम	स्वीकृत देय सब्सिडी राशि	
		पुरूष	महिला
1	क्रिकेट	20,000/-	20,000/-
2	एथलेटिक्स	12,000/-	12,000/-
3	फुटबाल	10,000/-	10,000/-
4	बैडमिंटन	10,000/-	10,000/-
5	टेबल टेनिस	10,000/-	10,000/-
6	व्हाली बॉल	10,000/-	10,000/-
7	कबड्डी	10,000/-	10,000/-
8	खो–खो	10,000/-	10,000/-
9	शतरंज	10,000/-	10,000/-
10	बास्केट बॉल	10,000/-	10,000/-
11	हैंडबाल	10,000/-	10,000/-
12	लान टेनिस	10,000/-	10,000/-
	योग	**132,000/-**	**132,000/-**

वित्त प्रबंधन --

1. अन्तर महाविद्यालयीन खेलकूद–प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी 200 रूपयें की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।
2. दल के साथ जाने वाले टीम मैनेजर/कोच/पर्यवेक्षक को 250 रूपयें प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा।
3. शासकीय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित क्रीड़ा संबंधित बैठकों में भाग लेने वाले क्रीड़ा अधिकारी/प्रभारी एवं अन्य शिक्षकों को यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।
4. अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय द्वारा विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों एवं मैनेजर कोच का दैनिक भत्ता संबंधित महाविद्यालय के द्वारा दिया जायेगा।
6. अन्तर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय द्वारा कीट प्रदान किया जायेगा। साथ ही खिलाडी/मैनेजरों का मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

खिलाड़ियों की पात्रता – केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थी ही अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग ले सकेगे। फेल या पूरक पात्र विद्यार्थी उस वर्ष की स्पर्धा में शामिल नही हो सकेगे। उत्त्तीण होने के उपरांत वो पुनः प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। स्नातक पाठ्यक्रम की समयावधी से अतिरिक्त दो वर्षो तक ही खिलाड़ी अन्तर महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन कीडा प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। उसके उपरांत उन्हे स्पर्धाओं में शामिल होने की पात्रता नही होगी।

विद्यार्थी जब अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने जायेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से अपने महाविद्यालय के प्रमुख (प्राचार्य/डीन) से पात्रता फार्म जिसमें उनका एवं उनके अभिभावक का नाम, कक्षा का नाम, जन्म तिथि–पिछली परीक्षा में पास होने का प्रमाण एवं महाविद्यालय का परिचय पत्र, जहाँ अन्तर महाविद्यालयीन परीक्षा आयोजित होगी लाकर जमा करना होगा।

अन्तर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता आयोजित करने वाले महाविद्यालय के लिये दिशा निर्देश – अन्तर महाविद्यालयीन स्पर्धा आयोजित करने के लिये महाविद्यालय विश्वविद्यालय में निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालय की कीडा समिति विभिन्न महाविद्यालय द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर विचार कर खेल आयोजित करने वाले महाविद्यालय का चयन करेगी। विश्वविद्यालय, चयन किये गये महाविद्यालय की सूची जारी करेगा जिसमें खेल आयोजन की तिथि भी होगी। खेल आयोजन करने वाले महाविद्यालय अपने स्तर पर भी आयोजन की

सूचना एवं दिनांक जारी करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सब्सिडी की राशि महाविद्यालय के प्राचार्य को भेजी जायेगी, महाविद्यालय को बाकी खर्च स्वयं उठाना होगा। जिसमें खिलाड़ियों, मैनेजर को रूकने की व्यवस्था (छात्रावास जैसी) खेल सामग्री, ग्राउंड/स्थल व्यवस्था इत्यादि। खिलाड़ियों का मार्ग व्यय, दैनिक भत्ता उनके महाविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। चयन समिति के सदस्यों का खर्च ट्राफी एवं सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय प्रदान करेगा।

चयन समिति – विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय अपने फैकल्टी में से जो किसी खेल में विशेषज्ञता रखने होने और जिन्होंने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उस खेल में प्राविण्यता प्राप्त की है का नाम चयन समिति के लिये भेजेगी। विश्वविद्यालय क्रीडा समिति उन नामों पर विचार कर योग्यता अनुसार चयन करेगी। विश्वविद्यालय क्रीडा समिति प्रदेश के योग्य खिलाड़ियों का चयन सीधे चयन समिति में कर सकती है।

समय पर अन्य आवश्यक जानकारी विश्वविद्यालय की क्रीडा समिति उपलब्ध करायेगी।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्या
उपरवारा, अटल नगर, सेक्टर–40, रायपुर छ.ग. 493661
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)
दूरभाष 0771–2973005 ई–मेल: healthuniversitycg@yahoo.com वेबसाइट–www.cghealthuniv.com

क्रमांक/F-91/ 3263 /डी.यू.एच.एस./अका./2022 रायपुर, दिनांक 12/10/2022

अधिसूचना

प्रबंधन बोर्ड की बैठक दिनांक 11.10.2022 को स्वीकृति प्रदान की गई के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित महाविद्यालयीन स्तर खेल प्रतियोगिता हेतु निम्नानुसार स्वीकृत देय सब्सिडी राशि दिये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है:–

क्रं.	खेल का नाम	स्वीकृत देय सब्सिडी राशि	
		पुरूष	महिला
1.	क्रिकेट	30,000/–	30,000/–
2	एथलेटिक्स	20,000/–	20,000/–
3	फुटबाल	20,000/–	20,000/–
4	बैडमिंटन	20,000/–	20,000/–
5	टेबल टेनिस	20,000/–	20,000/–
6	व्हाली बॉल	20,000/–	20,000/–
7	कबड्डी	20,000/–	20,000/–
8	खो–खो	20,000/–	20,000/–
9	शतरंज	20,000/–	20,000/–
10	बास्केट बॉल	20,000/–	20,000/–
11	हैंडबाल	20,000/–	20,000/–
12	लान टेनिस	20,000/–	20,000/–

प्रभारी कुलसचिव

पृ.क्रमांक/ F-91 / 3264 /डी.यू.एच.एस/अका/2022 रायपुर, दिनांक 12/10 /2022

प्रतिलिपि:–

1. माननीय कुलपति के सचिव, पं. दी. द. उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि. वि. छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित (छ.ग.)
2. परीक्षा नियंत्रक, पं. दी. द. उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि. वि. छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.)
3. सहायक संचालक (वित्त) पं. दी. द. उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि. वि. छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. कुलसचिव के निज सहायक, पं. दी. द. उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि. वि. छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. समस्त विभाग– सामान्य प्रशासन/गोपनीय/परीक्षा / विकास / लेखा/ग्रंथालय /आई. टी. विभाग / पं. दी. द. उपा. स्मृति स्वा. विज्ञान एवं आयुष वि. वि. छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभारी कुलसचिव